| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

22.3.22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया, मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर मौजूद है। मौके पर अप्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट पर आपसी सहमति जाहिर की है। मौका पर्चा पर समस्त खातेदारान के हस्ताक्षर है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी आराजी नं. 823, 828, 829 भूमि जो ग्राम समेलिया पटवार हल्का धोड़ास तहसील माण्डल मे स्थित है, उक्त भूमि मे आवागमन एवं कृषि यंत्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु विपक्षी सं. 1 लगायत 06 की आराजी सं. 808/1, 808/2 की पूर्वी मेड़ के सहारे-सहारे एवं आराजी सं. 825 की उत्तरी दिशा के मेड के सहारे-सहारे जो कि नक्शे मे मार्क ए से बी व सी से डी दर्शित है उक्त विपक्षीगण की आराजी मे से 16 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन व मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है. अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम समेलिया परवार हल्का धोड़ास तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 823, रकबा 0.2276 हैक्टेयर आराजी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 828 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, आराजी नं. 829 रकबा 0.4553 हैक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु तहसीलदार मांडल की रिर्पोट अनुसार अप्रार्थीगण 01 लगायत 06 की आराजी नम्बर 808/1 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 808/2 रकबा 0.1644 हैक्टेयर भूमि की दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे एंव आराजी नम्बर 825 रकबा 0.177 हैक्टेयर भूमि की पश्चिमी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे 15 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 15 फीट चौड़ाई के रास्ते के रुप मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशी नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे। और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते नक्शे मे तरमीम किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |